राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.6(262)परि/कर/मु./07/32595 जयपुर, दिनांकः 06.07.2017

कार्यालय आदेश.....10...../2017

परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम के नियम 4 के खण्ड 'ग' आखिरी परन्तुक को अधिसूचना संख्या एफ 6 (262)परि/कर/मु./07 दिनांक 23.01.17 के द्वारा प्रतिस्थापित करते हुए, ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के तहत गैर परिवहन यान के लिये वैध ट्रेड सर्टिफिकेट धारी हो, के लिये राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम,1951 की धारा 4 के तहत वाहन के प्रथम विक्रय पर कर को वसूल किया जाना एवं जमा किया जाना अनिवार्य किया गया है।

उक्त नियम के तहत गैर परिवहन यान के डीलर्स/सब–डीलर्स के लिये वाहन में विक्रय के पश्चात वाहन की डिलीवरी करते समय निम्न शर्तो की पालना करने का निर्देश दिया जाता हैः–

1. समस्त दो पहिया यान, चार पहिया गैर परिवहन यान एवं कन्सट्रंक्शन इक्विपमेन्ट वाहन के डीलर्स/सब–डीलर्स द्वारा वाहन के विक्रय के पश्चात् यदि वाहन राजस्थान राज्य के अन्य जिले में पंजीयन के लिये अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर जा रहा है तो ऐसे वाहन पर देय एक बारीय कर वसूल कर ई–ग्रास के माध्यम से संबंधित परिवहन जिले जिसके पते पर विक्रय पत्र जारी किया गया है, के पक्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करेगें। किसी भी स्थिति में डीलर/सब–डीलर द्वारा राजस्थान राज्य के अन्य जिले के लिये अस्थायी पंजीयन वाले वाहन की डिलीवरी संबंधित जिले में वाहन पर देय कर जमा कराये बगैर नहीं की जायेगी।
2. आर्मी सी.एस.डी(केन्टीन स्टोर डिपो) द्वारा डीलर/सब–डीलर के माध्यम से विक्रय किये गये यान का अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व भी डीलर वाहन पर देय एक बारीय कर वसूल कर ई–ग्रास के माध्यम से संबंधित परिवहन जिले में जमा कराया जाना सुनिश्चित करेगें।
3. वाहन डीलर्स/सब–डीलर्स द्वारा वाहन क्रेता को ई–ग्रास के माध्यम से जमा कराये गये कर की रसीद प्रदान की जावेगी। इस रसीद के G.R.N. नम्बर की सहायता से क्रेता संबंधित जिले में रसीद को ई–ग्रास पर डी–फेस करवाकर अपने वाहन का पंजीयन करवा सकेगा।
4. डीलर/सब–डीलर अपने द्वारा इस प्रकार प्राप्त कर ई–ग्रास के माध्यम से जमा कराये गये रिकॉर्ड की एक प्रति अपने जिले के जिला परिवहन अधिकारी को उपलब्ध करायेगा तथा जिला परिवहन अधिकारी द्वारा इस जमा कराये गये कर की जानकारी संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. विभाग द्वारा ट्रेड सट्रिफिकेट धारी डीलर/सब–डीलर को जारी विभागीय स्टेशनरी (अस्थायी पजीयन प्रमाण–पत्र) का रिकॉर्ड जिला परिवहन अधिकारी द्वारा रखा जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नयी स्टेशनरी तभी जारी की जाएगी जब डीलर/सब–डीलर द्वारा पूर्व में जारी स्टेशनरी से सबंधित फीस राशि तथा विक्रय किये गये वाहनों से वसूली कर राशि जमा कराने का रिकॉर्ड कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जायेगा।
6. ट्रेड सट्रिफिकेट धारी डीलर/सब–डीलर किसी भी गैर परिहवन यान का अस्थायी पंजीयन करते समय विभाग द्वारा उस वाहन के लिए नियत कर की सम्पूर्ण राशि को

वसूल कर जमा करायेगा। देय कर की संपूर्ण राशि वसूल नही किये जाने पर संबंधित डीलर/सब-डीलर की जिम्मेदारी होगी।

7. अन्य राज्य के लिए विक्रित वाहन के अस्थाई पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात डीलर/सब डीलर वाहन क्रेता से वाहन के पंजीयन की सूचना प्राप्त कर अपने क्षेत्र के पंजीयन अधिकारी को तीन माह में उपलब्ध करायेगा।
8. वाहनों पर देय कर विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के तहत देय होगा।
9. यह आदेश समस्त दो पहिया यान, चार पहिया गैर परिवहन यान एवं कन्सट्रंक्शन इक्विपमेन्ट वाहन एवं अन्य गैर परिवहन यानों के डीलर्स/सब-डीलर्स पर लागू होगा।

दोष के लिए दायित्व

ट्रेड सट्रिफिकेट धारी डीलर/सब-डीलर गैर परिवहन यानो को अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किये जाते समय किये गये निम्नलिखित कृत्य, दुराचरण व अनियमितता के लिए उत्तरदायी होगा।

1. अस्थायी पंजीयन किये जाते समय वाहनो से नियमानुसार संग्रह किये गये कर से कम राशि राजकोष में जमा कराना।
2. वाहनो की डिलिवरी बिना कर जमा कराये करना।
3. निर्धारित अवधि में राजकोष में उनके द्वारा संग्रह किया गया कर जमा नही कराना।
4. वाहन के जमा किये गये कर की एक प्रति वाहन क्रेता को जारी नही करना।

ट्रेड सट्रिफिकेट धारी डीलर/सब-डीलर द्वारा निर्धारित शर्तो की अवहेलना करने पर दण्ड

1. ट्रेड सट्रिफिकेट धारी डीलर/सब-डीलर द्वारा निर्धारित शर्तो की अवहेलना करने पर परिवहन आयुक्त ट्रेड सट्रिफिकेट धारी डीलर/सब-डीलर को नोटिस दे कर सुनवायी कराने के पश्चात् उसको प्रदान की गई वाहनो की पंजीयन सुविधा का निलबंन/निरस्तीकरण, आर्थिक दण्ड अथवा दोनो कार्यवाही कर सकेंगे।
2. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में परिवहन आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं ट्रेड सट्रिफिकेट धारी डीलर/सब-डीलर के लिए बाध्यकारी होगा।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ.6(262)परि/कर/मु./07/३२९९५ जयपुर, दिनांक :– 08.05.2017

प्रतिलिपिः– निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त राजस्थान जयपुर ।
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय, परिवहन विभाग, जयपुर ।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान।
6. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (कर)